Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# प्रवासी जनजातीय श्रमिकों को प्रेरित करने वाले कारकों का समाजकार्य अध्ययन (मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में)

**कपिल डामर***

* पीएच.डी. शोधार्थी (समाजकार्य) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, महू (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना –** आधुनिक भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या व बेरोजगारी के कारण लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए ग्रामिण क्षेंत्रों से शहरी की और रोजगार की तलाश में जा रहें है जिसमें रोजगार, प्रवास सबसे बड़ा कारण है। ग्रामिण क्षैत्रों में निवास करने वाले अधिकतर जनजातीय लोंगो के पास आय के संसाधन न होने तथा मूल स्थान पर रोजगार की सुविधाएँ न मिलने के कारण अपने घर को छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी करने जा रहे है। इस प्रकार से देश में असंगठित क्षेंत्रों में 42 करोड़ श्रमिक मजदूर प्रवास मजदूरी के रूप में संलग्न है। जिसकी आयु 18–40 वर्ष आयु समुह के श्रमिक सिर पर बोझढ़ोना ईट–भट्टा, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, भवन–निर्माण मजदूर आदि सम्मलित है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.4 लाख गांव है, जंहा देश की जनसंख्या का 68 प्रतिशत हिस्सा ग्रामिण क्षेत्रों में निवास करता है। इस प्रकार से ग्रामिण अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में 46 प्रतिशत योगदान है और 70 प्रतिशत श्रमिक गांव में रहते है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, जो कि पूर्णत: वर्षा पर निर्भर है तथा उनको कृषि कार्य से उत्पादित फसल से अधिक आमदानी न होने से बुनियादी ढ़ाँचा सुविधाओं का न मिलना है। अधिकतर जनजातीय लोग सीमांत कृषक (छोटे कृषक)व भूमिहीन श्रमिक होने के कारण अपने परिवार में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है। इसलिए उन्हें उभरने, बच्चों की शिक्षा, उन्नत कृषि व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं जुटाते है।

ग्रामिण जनजातीय परिवारों में जनसंख्या के वृद्धि होने से उनके परम्रागत कृषि व्यवसाय पीढ़ी–दर–पीढ़ी परिवार के भाईयों में विभाजित होती है, जिसके कारण कृषि जोतों के आकार भी छोटे–छोटे होते जा रहे है जिसके फलस्वरूप उनकी कृषि उपज में कमी व परिवार में औसत सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण जनजातीय परिवारों के सदस्यों का पालन–पोषण पूर्ण रूप से नही हो पा रहा है। एसी परिस्थिति में जनजातीय लोगों को अपने परिवार चलाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे – खाद्य पदार्थ जुटाने, पारिवारिक खर्च चलाने, कृषि सिंचाई, बीमारी के उपचार, आवास बनानें, स्वरोजगार स्थापित करने, शिक्षा प्राप्त करनें, उपयागी संसाधनों को खरीदनें, शादी–विवाह जैसे सामाजिक त्योहार व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिए अधिक रूपयों की जरूरत होती है। इसलिए जनजातीय लोग अपने घर से मौसम के अनुसार शहरों की और मजदूरी करने जाते है।

मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की विशेषत: भील, भिलाला, बारेला, पटलिया, जनजातीय अंचल भी एक ऐसा ही क्षेत्र है, जहां से हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग मजदुरी की तलाश में अंत:राज्यीय व अंतर्राज्यीय प्रकार के प्रवास कर रहे है। यहां के अधिकांश ग्रामिण जनजातीय लोग अपने मूल स्थान से अपने पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के शहरों में भवन–निर्माण कार्यो तथा कृषि मजदूरी कार्य के लिए जाते है। इस प्रकार से प्रवास लोगों के जीवन में एक अवधारणा ही नही बल्कि स्थान परिवर्तन का चक्रीय क्रम बना हुआ है। यह प्रवास आपातकालीन प्रवास न होकर आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। प्रो. बेब ने अपने 'जनसंख्या परिवर्तन का प्रवासन सिद्धांत' में जनसंख्या के स्थानांतरण को ध्यान में रखकर जनसंख्या विकास का विश्लेषण किया गया है जिसमें किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तीन बताये गये है– 1. जन्म दर 2. मृत्यु दर और 3. प्रवास।

**प्रवास का अर्थ एवं परिभाषाएँ –** प्रवास अंग्रेजी शब्द का हिन्दी रूपान्तर है। प्रवास का अर्थ एक मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, यहां–वहां अस्थायीय तौर पर निवास करना और अपने मूल स्थान से संपर्क बनाएं रखना है।

प्रस्तुत शोध–प्रबंध का प्रयोग मध्यप्रदेश के ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में किया गया है। वास्तव में प्रवास शब्द पलायन का पर्यायवाची है। प्रवास शब्द से स्वत: ही स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों से जो ग्रामीणजन प्रवास कर रहे है, वे आकर्षक तत्वों के प्रभाव से नही कर रहे अपितु उन्हें उनकी परिस्थितियाँ व समस्याएँ (जैसे– ऋणग्रस्तता, गरीबी, बेरोजगारी) अपना मूल स्थान छोड़ने को विवष कर रहे है। प्रवास को सामान्यत: दो प्रकार के अंतर्राज्यीय प्रवास व अंत:राज्यीय प्रवास के संदर्भ में किया गया है, जिसमें वे ग्रामीण श्रमिक है, जो या तो भूमिहीन हो या सीमांत कृषक हो, जो आय के स्त्रोत न होने व रोजगार के अभाव में मध्यप्रदेश के भीतर ही औद्योगिक क्षेत्रों की ओर प्रवास करते है तथा राज्य के बाहर गुजरात, महाराष्ट्र, व राजस्थान राज्य में प्रवास करने वाले जनजातीय श्रमिक को सम्मिलित किया गया है, जो प्रवास स्थल कृषि मजदूरी व साझेदारी में कृषि तथा भवन–निर्माण कार्य करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिक या कारीगारी का कार्य कर रहे है। खासकर मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के

ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों व पड़ोसी राज्यों की और प्रवास करने वाले जनजातीय श्रमिक(भील, भीलाला, व पटलिया जनजाति व उपजाति) को शामिल किया गया है।

प्रवास शब्द का अर्थ स्थान परिवर्तन करने के संदर्भ में किया गया है, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर कही दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से बस जाते है या बार-बार आते-जाते रहते है उसे प्रवास कहा गया है।

प्रवासी शब्द का अर्थ मजदूरी के लिए मौसम के अनुसार जगह-जगह पर जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में किया गया है, जो रोजगार की तलाश में दूसरें शहरों व राज्यों में निवास कर प्रवासी मनदूरी कार्य करते है उसे प्रवासी कहा गया है।

**श्रमिक का अर्थ-** अधिनियम की धारा 2 (ई) के अनुसार -'श्रमिक ऐसे व्यक्ति को कहां गया है, जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक या पारिश्रमिक वेतन के लिए कार्य करता है उसे श्रमिक कहां जाता है।

प्रवासी श्रमिक उन लोगों को कहा जाता है, जो मजदूरी करने के लिए अपने घर से साठ-गाठ के साथ शहरों की ओर अधिक समय के लिए मजदूरी की तलाश में निकल जाते है, वहां प्रवास स्थल पर कुछ महिने रहकर प्रतिदिन प्रवासी के रूप मजदूरी कार्य करते है उसे प्रवासी श्रमिक कहा गया है।

**प्रवास की परिभाषाएँ –** बर्गेल के अनुसार-'प्रवास मानवीय जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। प्रवास की प्रक्रिया मानवीय जनसंख्या को उपलब्ध सुविधाओं की ओर जाने हेतु आजीविका कमाने हेतु रोजगार प्राप्त करने हेतु शहरों की चकाचौंध की ओर आकर्षित करने हेतु प्रेरित करती है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ (30 प्रतिशत) जनसंख्या प्रवासी थे, जो अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे।

'इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इण्डिया', 2017 के अनुमानित आंकडे यह दर्शाते है कि 2011 और 2016 के बीच भारत में आंतरिक प्रवास करने वाले लोगों की वार्षिक संख्या 9 मिलियन के करीब थी, जबकि 2011 में भारत आंतरिक प्रवासियों की कुल जनसंख्या में एक-चोथाई देने वाला 139 मिलियन पर रहा है जिसमें उत्तरप्रदेश, और बिहार सबसे बडें स्त्रोत राज्य है, जहां से लोग सबसे अधिक संख्या में प्रवास करते है। इसके बाद मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल से प्रमुख रहे है तथा आकर्षित करने वाले राज्यों में दिल्ली , महाराष्ट्र, तमिलनाडू, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, और केरल है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट, 'द इंटरनेशल माइग्रेंट स्टॉक 2019' में यह कहा गया है कि विदेशों में 1.75 करोड़ भारतीय प्रवासी है। उनके प्रवास करने के मुख्य कारण नौकरी, उद्योग, शिक्षा, व व्यापार करने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे है, जिसमें भारतीय प्रवासियों की आबादी दुनिया में सबसें अधिक है और दुनियाभर में प्रवासियों की संख्या करीब 27.2 करोड़ पर पहुंच गई है। इस रिर्पोट में अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की उम्र, लिंग और मूल देश तथा दुनिया के सभी हिस्सों के आधार पर संख्या बताई गई है। कुल प्रवासियों की संख्या दुनिया की आज की आबादी का 3.5 फीसदी है। अंतराष्ट्रीय प्रवासियों को अपने यहां जगह देने वाले देशों में सबसे ऊपर यूरोप और उत्तरी अमेरिका है।

**शोध समस्या का चयन –** प्रस्तुत शोध-प्रबंध में जनजातीय लोगों परिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं के देखते हुए झाबुआ जिले को शोध अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयन किया गया है। ग्रामीण जनजातीय क्षेंत्रो के अधिकांश लोगों के पास रोजगार के आवश्यक संसाधन न होने के कारण रोजगार या मजदूरी की प्राप्ति हेतु दूसरे स्थान पर बार-बार स्थानांतरित होते रहते है, क्योंकि उन्हें अपने मूल स्थान पर पूर्ण रोजगार की व्यवस्था नही हो पाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरे क्षेत्रों या पड़ोसी राज्यों में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रवास करना अति आवश्यक हो जाता है जिससे कि वे अपने परिवार के बुजूर्ग एवं बच्चों का पालन-पोषण कर दैलिक दिनचर्या का गुजारा कर सकें। जनजातीय समुदाय में सदैव यह देखा गया है कि परिवार में किसी सदस्य के अचानक बीमार होने या किसी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम को संचालित करने के किए लिए वे अपने स्थानीय साहूकारों से ऋण उधार लेते है जिसे में निनिश्च समयावधि में भुगतान नही कर पाते है ऐसी परिस्थिति में साहूकारों जनजातीय श्रमिकों में अज्ञानता व जागरूकता की कमी का फायदा उठाते है। अत: यह ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि इनकी पारिवारिक आर्थिक एवं शैक्षिणक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करने हेतु शोधार्थी द्वारा प्रवासी जनजातीय श्रमिकों को प्रेरित करने वाले कारकों का समाजकार्य अध्ययन करने हेतु इस समस्या का चयन किया गया है।

**शोध अध्ययन का महत्व –** प्रस्तुत शोध-प्रबंध में प्रवासी जनजातीय श्रर्मिक रोजगार पाने हेतु अपने भूल स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक मजदूरी के लिए श्रमिकों के रूप श्रमिकों के रूप प्रभावित हुई है तथा प्रवास के दौरान भी उनके आर्थिक विकास में परिवर्तन की गति दिखाई नही देती है। उनकी पारिवारिक समस्याओं में कमी आने की बजाय निरतंर बढ़ती ही जाती है। सरकार के द्वारा प्रवास को रोकने के लिए कई शासकीय योंजनाओं को लागू किया गया है, लेकिन फिर भी प्रवास की गति में कमी नही हुई है। वर्तमान में प्रवास एक अवधारणा न होकर एक सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है। इसलिए शोधार्थी को इस समस्याओं पर शोध करना आवश्यक हो जाता है।

**शोध कार्य के उद्देश्य –**'जनजातियों के प्रवास के कारण और प्रभावों का अध्ययन' करना मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में निम्न उदेश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है।

**अध्ययन क्षेत्र का परिचय –** झाबुआ एक प्राचिन और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला स्थान है। यह स्थान कालांतर में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां प्राचिन काल में नागवंशी राजाओं का शासन था, जो विभिन्न आदिवासी जनजातियों के साथ सम्बन्धित थे। झाबुआ का ऐतिहासिक प्रमुख भाग विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है, जहां विभिन्न आदिवासी समुदायों में बसा रहा है। यहां का नाम प्राचिन काल में 'जवाईबुआ' था, जिसका अर्थ होता था,'निजी राज्य के बाहर'। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां के जनजातियाँ अपने आप में एक स्वतंत्र संगठन और शासन प्रणाली रखती है।

**झाबुआ जिले का भौगोलिक स्वरूप :**

**मिट्टी –** झाबुआ जिले की मिट्टी पथरीली, भूरी, काली एवं अनोपयोगी है। क्षेत्र का अधिकांश भू-भाग ऊबड-खाबड व कटा होने के कारण कृषि कार्य का विस्तार के साथ आधुनिक दृष्टि से कृषि का अभाव पाया जाता है।

**जलवायु –** इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय दृष्टि से दो जलवायु के

अन्तर्गत निम्न घटकों में रखी जा सकता है जिसके आधार पर अन्य क्षेत्रों का वर्णन किया जा सकता है।

**वर्षा –** झाबुआ जिले में औसतन वर्षा 750.45 मि.मी. होती है। वर्षा मुख्यतया जून-जुलाई माह से होती है। सामान्यता भारत में वर्षाकाल 15 जून से 15 सितम्बर तक माना जाता है। वर्षा की अधिकतम मात्रा इसी अवधि में प्राप्त होती है।

**तापमान –** जलवायु को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण घटक तापमान होता है। किसी भी क्षेत्र में कृषि व्यवसाय एवं मानवीय क्रियाकलाप पर जलवायु की विशेष छाप देखी जा सकती है। जिसमें तापमान काफी अधिक प्रभावी होता है। अलिराजपुर में औसतन वार्षिक तापमान मई मध्य जून तक तापमान32.8 से 42.3 से अधिक या कम रहता है।

**हवाएं –** झाबुआ क्षेत्र में हवाओं का प्रवाह पछुआ रहता है इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश दिनों में पछुआ हवांए चलती है। यही हवांए मौसम के अनुसार अपना रूप बदलती है। जिसमें गर्मी में यह लू का रूप भी लेती है। शीत हवाओं का प्रवाह भी इन्हीं हवाओं के कारण होता है।

**फसलें –** झाबुआ जिला मुख्यतया कृषि प्रधान है। इस क्षेत्र में मक्का, उड़द, तुवर, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, चना आदि की फसलों की कृषि का कार्य किया जाता है।

**वन –** प्रदेश में झाबुआ जिला पिछडे जिलों में शामिल होने के बाद भी वन सम्पदा की दृष्टि से प्रदेश में अपना उचित स्थान रखता है। इन क्षेत्रों में सागोन, साल, शीशम, बांस, हरडा, बेहडा, ताड़, महुंए, आम आदि वृक्षों की बहुलता है। जिस कारण इस क्षेत्र की आदिम जातियों के लिए वन से वनोपज, आखेट, खाद्य संग्रहण कर अपना आर्थिक जीवन निर्वाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका वनों की रहती है।

**शोध प्रविधि**

**शोध प्रारूप –** प्रस्तुत शोध प्रबंध में अध्ययन हेतु विवरणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है।

1. **शोध का अध्ययन क्षेत्र –** शोध-प्रबंध में अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश का झाबुआ जिला अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है ।

2. **अध्ययन का समग्र –** मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के प्रवास करने वाली समस्त जनजातिय परिवारों को शोध के समग्र के रूप में सम्मिलित किया गया है।

3. **अध्ययन की इकाई –** झाबुआ जिले के समस्त विकासखण्ड ( झाबुआ, मेंघनगर, थांदला, पेटलावद, रानापुर, एवं रामा ) के प्रवास करने वाले जनजातिय उत्तरदाताओं को शोध की इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है।

4. **निदर्शन विधि –** प्रस्तुत शोध-प्रबंध में झाबुआ जिले के छ: विकासखण्ड झाबुआ, मेंघनगर, थांदला, पेटलावद, रानापुर, एवं रामा के भील, भीलाला, व पटेलिया जनजातीय व उपजाति के परिवारों का चयन किया गया है, जिन परिवार के सदस्य मजदूरी के लिए दूसरे स्थानों पर प्रवास करते है। उनका चयन सौद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड से 5-5 गाँव व प्रत्येक गाँवों से 10-10 उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार कुल 300 प्रवासित जनजातिय को उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया है।

5. **तथ्य संकलन के स्त्रोत –** किसी भी सर्वेक्षण या अनुसंधान के लिए सामग्री या तथ्यो का संकलन अत्यंत आवयश्क है। जब तक शोध विषय के संबंधित तथ्यो को निश्चत प्रविधियों के काम में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जायेगा तब तक शोध के आधार पर कोई निष्कर्ष नही निकाल सकते है, और नही किसी भी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। किसी वैज्ञानिक को निष्कर्ष तक पहुंचने एवं सामान्यीकरण तथा सैद्धांतिकरण के लिए सूचना प्राप्त करना, तथ्य एकत्रित करना, संख्यात्मक एवं गुणात्मक बाते मालूम करना आवश्यक है। अत: तथ्य संकलन के निम्न स्त्रोत है-

1. प्राथमिक स्त्रोत
2. द्धितीयक स्त्रोत

**1. प्राथमिक स्त्रोत –** प्राथमिक स्त्रोत वे मौलिक तथ्य, सुचनाए या आंकडे होते है। जो कि शोधकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल पर जाकर समस्या से संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके, प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से एकत्रित करता है।

शोधकर्ता ने स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रवासित जनजातियों से वार्तालाप कर साक्षात्कार लिखा एवं प्रवास के कारणों एवं प्रभावों, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति के अध्ययन हेतु प्राथमिक आंकडो को प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किया है।

**प्राथमिक समंक प्राप्त करने के स्त्रोत** :

1. **साक्षात्कार अनुसूची –** अनुसंधानकर्ता द्धारा निर्मित प्रश्नों के समुहों से है जिससे वह जानकारियां प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाता है।

2. **अवलोकन** – तथ्यों को एकत्रित करने का एक प्राथमिक स्त्रोत प्रत्यक्ष निरीक्षण है अर्थात् अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर अपने विषय से संबंधित घटनाओं, वस्तुओं तथा व्यवहारों का स्वयं निरीक्षण या अवलोकन करके सूचना एकत्रित करता है।

3. **साक्षात्कार –** प्राथमिक सूचनाओं को प्राप्त करने का एक और उल्लेखनीय साधन संबंधित स्थानीय व्यक्तियों से स्वयं मिलकर व उनसे बातचीत करके विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना है।

4. **समूह चर्चा शोध –** अध्ययन के दौरान शोधार्थी द्धारा मैने वहां प्रवासी लोगों से उनकी स्थिति एवं पूर्व स्थिति के बारे में जानकारी लेने हेतु सामुहिक चर्चा की।

**2. द्धितीयक स्त्रोत –** द्धितीय स्त्रोत के लक्ष्य जो अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित आलेखों, रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त होते है, ये वे आंकड़े होते है जो अन्य व्यक्ति या संस्था द्धारा पहले किसी उद्देश्य के लिए अपने उद्देश्य हेतु प्रयोग करता है।

**द्धितीय समंक प्राप्त करने के स्त्रोत :**

1. समाचार पत्र
2. पत्र-पत्रिकाएं
3. संबंधित साहित्य
4. इंटरनेट
5. पुस्तकालय
6. सांख्यकीय कार्यालय झाबुआ

**समंक संकलन की विधियां –** संमक संकलन या एकत्रित करने हेतु निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें साक्षात्कार, समूह चर्चा, अवलोकन एवं फोटोग्राफी प्रमुख है, जो शोध समस्या के वास्तविक और व्यावहारिक स्थिति को भलीभांति प्रकट करते है। इस प्रकार से शोधकर्ता में निम्न प्रविधियों का प्रयोग करके समंको को एकत्रित किया है।

1. **साक्षात्कार –**साक्षात्कार को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया गया है कि जिसके द्वारा क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

शोधार्थी द्वारा शोध कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र में पलायन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति का अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग किया। पलायन महिलाओं से जानकारी प्राप्त करते समय उन्हें अपनी समस्या सुनाने का पुरा अवसर दिया।

2. **अवलोकन प्रविधि –** शोधकर्ता ने शोध क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार पूर्व वहां का वातावरण, पारिवारिक, पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु वहां की बसाहट एवं रहवासी समस्याएं आदि का अवलोकन करके प्रश्न अनुसूची तैयार की जो कि शोध अध्ययन में सहायक हुई।

3. **समूह चर्चा –** शोध अध्ययन के दौरान शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पलायन महिलाओं से समूह चर्चा की जो कि शोध अध्ययन में काफी सहायक हुई।

4. **तथ्यों का विश्लेषण –** समंको का विश्लेषण शोध का महत्वपूर्ण भाग होता है। शोध कार्य में केवल तथ्यों को प्राथमिक स्त्रोतों से एकत्रित कर लेने से अध्ययन का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है जबकि प्राप्त एकत्रित तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण एवं व्याख्या नहीं किया जावे। अत: शोध से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्नांकित चरणों में प्रदर्शित कर सकते है।

1. **मास्टर चार्ट –** साक्षात्कार अनुसूचित के आधार पर सर्वप्रथम मास्टर चार्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा उनके प्रश्नानुसार उत्तर को कोड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

2. **सारणीयन –** मास्टर चार्ट के अनुसार प्राप्त जानकारी के माध्यम से सारणीयन किया गया एवं विभिन्न सारणीयन के माध्यम से तथ्यों का तुलनात्मक एवं विश्लेषण किया। इस प्रकार सारणीयन द्वारा वास्तविक स्थिति का अध्ययन में सरलता हुई।

3. **क्षेत्रीय निरीक्षण –** शोधार्थी द्वारा शोध कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा तथ्यों को देखकर निष्कर्ष निकालने में सरलता हुई और वास्तविक तथ्यों का विश्लेषण किया गया।

तथ्यों का विश्लेंषण – प्रस्तुत शोध–प्रबंध में शोध अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों का एस.पी.एस.एस. के माध्यम से सारणीयन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है।

**तालिका क्रमांक –1 : प्रेरितहोकर प्रवास करने से सम्बन्धित विवरण**

| क्र. | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | मित्र | 78 | 26.0 |
| 2 | रिश्तेदार | 14 | 4.6 |
| 3 | पड़ोसी | 132 | 44.0 |
| 4 | ठेकेदार | 76 | 25.3 |
| | कुल | 300 | 100.0 |

प्राथमिक स्त्रोंत–क्षेत्र सर्वेक्षण 2022

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 26.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपने मित्र से प्रेरित होकर प्रवास करते है, 4.6 प्रतिशत उत्तरदाता अपने रिश्तेदार से प्ररित होकर प्रवास करते है, 44.0 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पड़ोसी से प्ररित होकर प्रवास करते है और 25.3 प्रतिशत उत्तरदाता ठेकेदार के द्वारा प्रेरित होकर प्रवास करते है। इसलिए वह स्पष्ट होता है कि जनजातीय परिवारों से प्रवास करने वाले अधिकांश 44.0 प्रतिशत उत्तरदाता पड़ोसी से प्रेंरित होकर प्रवास कर रहे है तथा सबसें कम 4.6 प्रतिशत उत्तरदाता अपने रिश्तेदार से प्रेरित होकर प्रवास कर रहे है।

**तालिका क्रमांक –2: प्रवास हेतु प्रेरित करने वालें कारक से सम्बन्धित विवरण**

| क्र. | विवरण | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | अधिक मजदूरी | 127 | 42.3 |
| 2 | अधिक पैसें कमाने | 173 | 57.7 |
| | कुल | 300 | 100.0 |

प्राथमिक स्त्रोंत–क्षेत्र सर्वेक्षण

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 42.3 प्रतिशत उत्तरदाता अधिक मजदूरी ( अधिक समय) के लिए प्रवास करते है तथा 57.7 प्रतिशत उत्तरदाता प्रवासी मजदूरी कर अधिक पैसे की बचत की आशा में प्रवास करते है । इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनजातीय परिवारों से प्रवास करने वाले अधिकांश 57.7 प्रतिशत उत्तरदाता अधिक पैसे कमाने (बचत) के लिए प्रवास करते है।

**प्रवास हेतु प्रेरित करने वाले कारकों से सम्बन्धित विवरण :**

1. सर्वेक्षित शोध अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात हुआ है कि 132 (44.0) उत्तरदाता अपने परिवार में आय के संसाधन न होने के कारण अपने पड़ोसी के साथ प्रवास कर रहे है। 78 26.0 उत्तरदाता अपने मूल स्थान पर रोजगार न मिलने के कारण मित्र के साथ प्रवास करते है 76 25.3 उत्तरदाता अपने घर पर कार्य कृषि सिंचाई में खाद–पानी देना पिताजी या दूसरे को देकर ठेकेदारों के साथ प्रवास करते है तथा 14 4.6 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदारों के साथ प्रवास करते है। अत: इससे यह स्पष्ट हुआ है कि प्रवास जनजातीय श्रमिकों में अपने आप नही हुआ बल्कि अपनी पारिवारिक स्थिति व आर्थिक समस्याओं के कारण हुआ है। उनके पास आय के स्त्रोंत का अभाव व मूल स्थान पर रोजगार न मिलना रहा है। इसलिए जनजातीय समुदाय के लोग समूह के रूप में प्रवास करते है।

2. ग्रामीण जनजातीय क्षेंत्रों से प्रवास करने वाले 57.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि अपने मूल स्थान पर पूर्ण रोजगार नही मिलता है इसलिए दूसरे शहरों की ओर अधिक मनदूरी के लिए प्रवास करते है। 42.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि परिवार में आय के संसाधन होने कारण पैसों की समस्यायें रहती है। इसलिए शहरों में प्रवासी मजदूरी कर अधिक पैसें कमाने के उद्देश्य से प्रवास करते है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि गांव में निवास करने वाले जनजातीय लोग बिना प्रवास किये मजदूरी व पैसे नही प्राप्त कर पा रहे है अर्थात अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नही कर रहे है। इस कारण जनजातीय लोग शहरों की ओ निरंतर प्रवास कर रहे है।

**निष्कर्ष–** अध्ययन के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है – प्रस्तुत शोध में प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दिये गये है। जो निम्नानुसार है–

1. शोध क्षेत्रों में ग्रामिण जनजातिय परिवारों से पुरूष वर्ग अधिक संख्या में रोजगार के लिए अपने मूल गांव से शहरों व पड़ोसी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, व राजस्थान) में प्रवास करते है। जिन पर परिवार के पालन–पोषण करने का दायित्व अधिक होता है।

2. शोध क्षेत्रों में भील जनजाति के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते है। यह बाहुल्य जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर जनजातिय लोग अधिक संख्या में निवास करते है। इसमें सर्वाधिक प्रवास करने वाले जनजातिय श्रमिकों की आयु 30-40 वर्ष के मध्य हैं।

3. शोध क्षेत्रों में विवाहित श्रमिक अधिक संख्या में मजदूरी कार्य के लिए दूसरे स्थानों पर प्रवास करते है, जो कि शादी-विवाह के अवसरों पर अपने स्थानीय साहुकारो से अधिक मात्रा में ऋण लेकर करते है, उस ऋण को चुकाने व परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजदूरी कार्य करते है। यह अपनी जागरूकता की कमी व उचित जानकारी के अभाव में शासन द्वारा संचालित सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रमों में सम्मिलित नही हो पाते है।

4. शोध क्षेत्रों में जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है, परंतु कृषि जोतों के आकर छोटे होने, असमतलीकरण, बिखरी हुई एवं पठारी अवस्था में होने के कारण केवल वर्षा ऋतु में कृषि भूमि को सिंचित कर पाते है, जिसके परिणास्वरूप कृषि उपज में कमी होती है।

5. शोध क्षेत्रों के जनजातिय परिवारों में औसत सदस्यों की संख्या अधिक है। इस कारण उनके परिवारों में खाद्यान्न पदार्थ वर्ष भर नही चल पाता है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों का पालन-पोषण करने तथा अन्य पारिवारिक कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ हो जाते है। उनके पास आय उपार्जन के संसाधन की कमी है।

**सुझाव :**

**1. बुनियादी ढॉचे को विकसित करने की जरूरत -** जनंसख्या का शहरी क्षेत्रों पर लगातार दबाव बढ़ने की वजह से देश बुनियादी ढॉचे और रीयल एस्टेट क्षेत्र पर ध्यान देने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि सत्त और समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने में मद्द मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के पारिवारिक बंटवारे से खेती की जमीन घटती जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचल में आय भी कम हो रही है और इसका असर वहॉ के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। आज हर व्यक्ति शहरों की तरफ रूख कर रहा है, जिसे देखते हुए शहरी नियोजन की आवश्यकता है। इस लिहाज से बुनियादी ढॉचे को विकसित करने की जरूरत है और इसके लिए निजी भागीदारी बहुत आवश्यक है।

**2. सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर करें पहल -** बुनियादीढॉचे के विकास से जुड़े पेशेवरों की देश में कमी का असर अंचल संपत्ति क्षेत्र पर पड़ रहा है। पेशेवरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर पहल करना चाहिए।

**3. गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी -**प्रवास रोकने और रोजगार पैदा करने के लिए ग्रोथ की जरूरत है। लेकिन मौजूदा ग्रोथ जॉब लेस है। हमें छोटे व मध्यम उद्योगो पर ध्यान देना होगा। कृषि में रोजगार की ज्यादा गुंजाइश नही है। अभी सबसे ज्यादा ध्यान बडे शहरो के आर्गेनाइज्ड सेक्टरों की तरफ है। उससे रोजगार तो पैदा होता है, लेकिन प्रवासपर रोक नही लगती। प्रवास रोकने के लिए गांवो का दुरूस्त करना ही चाहिए। फल, सब्जी जैसे राँ मटिरियल को लंबे समय बचाने के लिए उद्योग बनाने होंगे। उत्तर भारत में पर्यटन और खनन दो बडे सेक्टर है, जो प्रवास रोकने में सहायक है।

4. भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को भ्रमण एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। इस आधार पर व्यक्ति भारत के किसी भी स्थान पर अपने निश्चित उद्देश्यों जैसे जीविकापार्जन आदि की पूर्ती के लिए प्रवास करते है। अतएव सरकार द्वारा इन प्रवास व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन के संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाना चाहिए।

5. भारत में प्रवास की प्रवृत्ति मुख्यत: ग्रामीण से शहरी होती है, जो कि कम खेती योग्य भूमि एवं रोजगार अवसरों के अभाव के कारण शहरी क्षेत्रों में होती है, तब ग्रामीण क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि का उचित प्रबंधन एवं रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।

6. ग्रामीण कृषकों को कृषि की नई तकनीकी का प्रशिक्षण एवं जानकारी प्रदान की जाए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और उन्हें प्रवृजन के लिए मजबूर न होना पड़े।

7. विकास की योजनाओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि अशिक्षित लोग भी इन्हें समझ सके और योजनाओं का लाभ ले सके।

8. कृषकों को कृषि कार्य के लिए सस्ते से सस्ता ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे उनके उत्पादन में सुधार हो।

9. प्रवास के दौरान स्थानीय शासन द्वारा कुछ एसे नियम या कानून लागू करने चाहिए, जिससे स्थानीय जमीदार, पूंजीपति एवं साहूकारों द्वारा प्रवास करने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण न हो।

10. प्रवास करने वाले लोगों द्वारा विभिन्न बीमारियों का भी उनके साथ उस स्थान विशेष पर आगमन होता है। अतएव प्रवास नीतियों में स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कोई उपबंध होने चाहिए।

11. किसी भी स्थान पर प्रवास से उस क्षेत्र का तो विकास होता है, परन्तु जहां से प्रवास होता है, वहां पर कई प्रकार का विकास अवरूद्ध होता है। अत: सरकार द्वारा इस दिशा को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाना चाहिए।

12. प्रवास बाबद राष्ट्रीय नीति एवं इसके क्रियान्वयन हेतु राज्यों में केन्द्रो की स्थापना होनी चाहिए। जिससे प्रवास करने वाले व्यक्तियों के उचित मार्गदर्शन की उपलब्धता सामजस्यपूर्ण बनी रहे।

उपरोक्त सुझाव यदि अमल में लाए जाते है तो परिणाम प्रवासी जनजातियों के लिए अनुकूल हो सकेंगे, जिससे इन प्रवासी जनजातियों का उत्थान हो सकेगा।

**संदर्भ गृन्थ सूची :-**

1. बघेल डी.एस. (1993), नगरीय समाजशास्त्र, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ आकदमी, भोपाल।
2. भगत राम बाबु, डिपार्टमेंट एण्ड माईग्रेशन एंण्ड अर्बन स्टडिज, इंटरनेशनल इस्टिच्यूट ऑफ। पापुलेशन साइंस, मुंबई, दैनिक भास्कर, 2011
3. भूगोल और आप, (मार्च 2010), मानव भूगोल।
4. डेहरिया बेनी प्रसाद (2008-09) 'गौंड जनजाति कृषि श्रमिक परिवारों में पलायन का बदलता स्वरूप एवं कारणों का अध्ययन'।
5. गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डी.डी., समाजशास्त्र, (UGC:NET/SLET)
6. www.interstatemigration.com
7. जेम्स, के.एस. पापुलेशन रिसर्च सेंटर इंस्टिच्यूट फॉर सोशल एण्ड इकॉनामिक चेंज, बैगलुरू, दैनिक भास्कर 2011।
8. कुरूक्षेत्र, (दिसम्बर 2010), ग्रामीण नगरीय प्रवृजन।

9. पाण्डेय प्रेम प्रकाश (1990) 'अप्रवासी श्रमिक', नार्दन बुक सेंटर, नई दिल्ली।
10. पाण्डेय मलिक (1991), 'नगरीय आवृजन', मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
11. पाटकर सुमन (1998-99) 'पृवासी आदिवासी महिलाओं की समस्या एवं समाधान'।
12. राय, सरोज (1993) 'महिला श्रमिक', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
13. भारत में प्रवृजन, जनगणना 2001
14. सक्सेना आर.सी. (1998) 'श्रमिक समस्याएं एवं समाज कल्याण', प्रकाशन के.नाथ एण्ड कम्पनी, मेरट।
15. सफदरी एस.एच., सी.ई.ओ. जिला पंचायत झाबुआ, पत्रिका 2011
16. शर्मा पी.के. (1924) 'आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन' श्री पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।
17. व्यास बी.एस. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य और अर्थशास्त्री, दैनिक भास्कर 2011
18. वासनिक नीरज कुमार (2007-08) 'प्रवासी मजदूरों का सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन'।
19. यंग पी.वी. (1998), आन्तरिक प्रवास और सामाजिक परिवर्तन।
20. बहल, विम्मी एवं शिवानी, अनिल सितम्बर 2017,'ग्रामिण भारत विकास की और' एन इन्टरनेशनल जर्नल लिंक- 162 वॉल्यूम
21. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका अलीराजपुर।
22. जुयाल, शिक्षा एवं प्रियदर्शिनी, जया ( मार्च, 2018), ग्रामिण ढॉचें की मजबूत होती नींव, प्रकाशन विभाग सुचना भवन, सी.जी.ओ. लोधी रोड़ नई दिल्ली योजना पृष्ठ क्र. 42-43
23. पटेल, वर्षा (2010) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी महिला श्रमिंको के जीवन स्तर एवं कार्यकर्ताओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर में निर्माण कार्य के विशेष संदर्भ में (अप्रकाशित) शोध-प्रबंध, देवी अहिल्या विवि इन्दौर पृष्ठ क्र. 5

**********